न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –47 / 2023

अनवान

कन्हैयालाल पिता श्री मोडूलाल जी जाट, जाति जाट, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

1. धन्ना पिता श्री उदा मीणा, जाति मीणा, आयु बालिग, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. राधेश्याम पिता श्री चम्पालाल मीणा, जाति मीणा, आयु बालिग, निवासी मोहनपुरा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. बृजमोहन पिता श्री धन्ना गुर्जर, जाति गुर्जर, आयु बालिग, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. भुवानीलाल पिता श्री गेन्दीलाल गुर्जर, जाति गुर्जर, आयु बालिग, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. मांगीलाल पिता श्री चर्तुभुज जाट, जाति जाट, आयु बालिग, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. मांगीलाल पिता श्री धन्ना गुर्जर, जाति गुर्जर, आयु बालिग, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. रामकुमार पुत्र धन्ना गुर्जर, जाति गुर्जर, आयु बालिग, निवासी मोहनपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. चतरा पुत्र उदा मीणा जाति मीणा आयु बालिग निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
9. तहसीलदार महोदय, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह प्रार्थी।
अप्रार्थी संख्या 01 राहुल जैन।
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 27.04.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं सह खातेदारान के संयुक्त एवं शामलाती खातेदारी की कृषि आराजियात ग्राम मोहनपुरा, प.ह. धावदकलां, की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 152, खसरा संख्या 446 रकबा 3.2400 हेक्टर लगानी 16.20 रूपये खाते दर्ज रिकॉर्ड है, जिस पर सभी खातेदार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, उक्त वर्णित कृषि आराजियात पर आने जाने के लिए कदीमी समय पुराना आम रास्ता बना हुआ है, जो ग्राम मोहनपुरा की आराजी संख्या 450, 447, 584 / 452 में होता हुआ प्रार्थी के खाते की कृर्षि आराजीयात आराजी संख्या 446 में आता है, उक्त रास्ते का प्रार्थी एवं सह खातेदारान कदीमी समय से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है, उक्त रास्ते को अभी हाल ही में अप्रार्थीगण सख्या 01 से लगायत 07 द्वारा बंद कर दिया है तथा मुझ प्रार्थी एवं सहखातेदारान को कृषि कार्य करने हेतु उक्त भूमि पर नहीं आने जाने दे रहे है तथा उक्त आम रास्ते को अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 द्वारा तारबंदी कर बंद कर दिया गया है, जिससे प्रार्थी एवं सह खातेदारान अपने खाते की कृर्षि भूमियों की बुवाई जुताई नहीं कर पा रहे है. जिससे कृर्षि भूमियां पड़त पड़ी हुई है, तथा उनके बाल बच्चों के भूखे मरने की नौबत आ गई है, मौके पर रास्ता तरमीम नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र धारा 251 क रा.टी.ए बाबत् रास्ता तरमीम करने हेतु न्यायालय श्रीमान में पेश करना आवश्यक हुआ है। घटना दिनांक 10.04.2023 की है, प्रार्थी अपने खाते की कृर्षि भूमियों की हंकाई जुताई करने हेतु ट्रेक्टर लेकर गया तो वहां जाकर देखा कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 7 द्वारा हमारे खेत पर आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया है, जिससे मैं प्रार्थी अपने खेत पर नहीं जा पाया, अप्रार्थीगण संख्या 01

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

से 07 को निवेदन करने पर भी रास्ते को नहीं खोला, इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी एवं सहखातेदारान के खातेदारी अधिकार की ग्राम मोहनपुरा की कृषि आराजियात आराजी संख्या 446 पर आने जाने के लिए ग्राम मोहनपुरा की आराजी संख्या 450 में से होता हुआ आराजी संख्या 447 में होता हुआ 584/452 में होकर आता है जिसे अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 ने बंद कर दिया है. इसलिए ग्राम मौजा मोहनपुरा की आराजी संख्या 450,447,584/452 में रास्ता तरमीम किये जाने व नक्शे में तरमीम करने का आदेश प्रदान किया जावे, इस हेतु प्रार्थी नियमानुसार शुल्क भी जमा करने को तैयार है। अंत में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं सहखातेदारान के खातेदारी अधिकार की ग्राम मोहनपुरा की कृषि आराजियात आराजी संख्या 446 पर आने जाने के लिए ग्राम मोहनपुरा की आराजी संख्या 450 में से होता हुआ आराजी संख्या 447 में होता हुआ 584/452 में होकर आता है जिसे अप्रार्थीगण संख्या 01 से 07 ने बंद कर दिया है, इसलिए ग्राम मौजा मोहनपुरा की आराजी संख्या 446 पर आने जाने के लिए ग्राम मोहनपुरा की आराजी संख्या 450, 447, 584/452 में रास्ता तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान कर नक्शे में भी तरमीम किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 08 को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 08 नोटिस बाद तामील प्राप्त होने के बावजूद न्यायालय में पैरवी हेतु अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए।

प्रकरण रास्ता कायमी का होने से अप्रार्थी संख्या 09 तहसीलदार रावतभाटा से मौका एवं स्थिति की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रावतभाटा द्वारा दिनांक 05.02.2025 को प्रस्तुत रिपोर्ट तथा संशोधित रिपोर्ट 23.04.2026 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम मोहनपुरा प0ह0 धावदकलां की आराजी संख्या 446 रकबा 3.24है0 किस्म माल-1 भूमि कन्हैयालाल पिता मोडूलाल हिस्सा 1/10, मंजू बाई पुत्री मोडूलाल हिस्सा 1/10, राजेश पिता मोडूलाल हिस्सा 1/10, सरजूबाई पत्नि मोडूलाल हिस्सा 1/10, मोहनीबाई पत्नि गौविन्द हिस्सा 1/2, रामसिंह पिता कुशलराज हिस्सा 1/30, लाडबाई पुत्री कुशलराज हिस्सा 1/30, शम्भूबाई पत्नि कुशलराज हिस्सा 1/30 जाति जाट के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। वादी उक्त आराजी संख्या 446 पर आने-जाने के लिए आराजी संख्या 450 व 447 से होकर आता-जाता रहा है तथा उक्त आराजीयात पर मौके पर गाडी-गडार बना हुआ है, जिससे प्रार्थी आता-जाता रहा है। वादी के आराजी संख्यास 446 पर आने-जाने के लिए कोई रिकार्डेड रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है, इसलिए उक्त आराजी पर पहुंचने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। वादी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि पर वर्तमान में किसी न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। वादीगण के आराजी तक पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी का और कोई रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते मे कोई पक्का निर्माण/ कुआं/ट्यूबवेल नहीं है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता के लिए उपयोग में आने वाली भूमि आराजी संख्या 450 दक्षिण दिशा में लम्बाई 90 मी. व चौडाई 2.5 मी. अनुसार 90X2.5=225 वर्गमीटर भूमि, आराजी संख्या 447 की पूर्व दिशा में लम्बाई 110 मी. व चौडाई 2.5 मी. अनुसार 110X2.5=275 वर्गमीटर भूमि, आराजी संख्या 449 की दक्षिण दिशा में लम्बाई 20 मीटर व चौडाई 2.5 मीटर अनुसार 20X2.5=50 वर्गमीटर उपयोग में आएगी। इस प्रकार 05 मीटर चौडाई वाले प्रस्तावित रास्ते में कुल 550 वर्गमीटर भूमि उपयोग में आएगी। उक्त प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 670390/- रूपये प्रति हैक्टेयर अथवा 67.03 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 550 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर अनुसार वैल्यू 550X67.03=36866/- रूपये बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

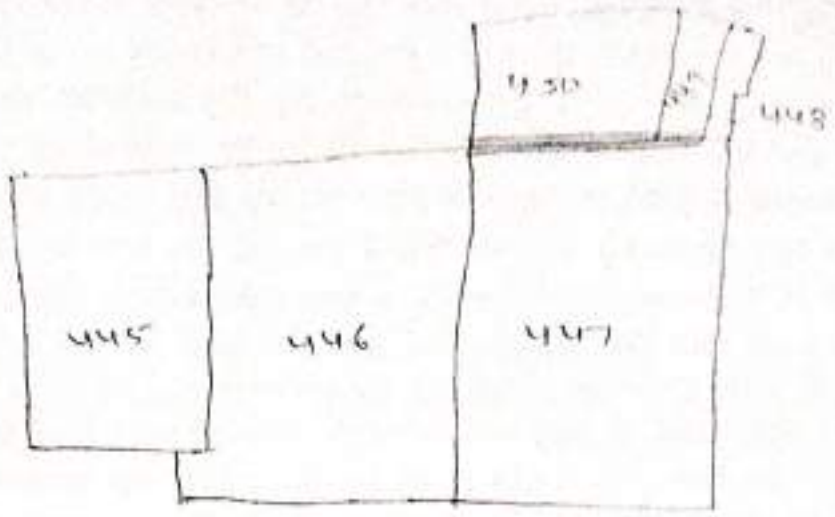

(तहसील रिपोर्ट क्रमांकः रीडर/जवाब/2025/1364 दिनांक 05.02.2025 के साथ संलग्न नक्शा)

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री राहुल जैन द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते कार्यवाही दोतरफा करने के संबंध में पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने से इन्कार कर सीधे बहस सुनाने का अनुरोध किया गया जिसे स्वीकार किया गया। उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र की बहस सुनाई गई। उभय पक्ष को सुना गया। बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अप्रार्थी वयोवृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र अधिक होने से ज्यादा कुछ याद नहीं रहता है। इस कारण न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित नही हो सका। अप्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय पारित हुआ तो अप्रार्थी को हानि होने की प्रबल संभावना है तथा न्याय भी प्राकृतिक नहीं हो पाएगा जिसके विपरित वकील प्रार्थी द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया है कि अप्रार्थी को पुर्व में नोटिस तामील करवाई गई है तथा अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित भी रहा है तथा उसके पश्चात सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ इसलिए प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। उभय पक्ष की बहस पर मनन से यह प्रतित होता है कि अप्रार्थी को जवाब/सुनवाई हेतु अवसर दिए बिना कोई कार्यवाही होना न्यायहित में उचित प्रतित नहीं होता है तथा अप्रार्थी को प्रथमदृष्टया हानि/क्षति होने की संभावना होना भी प्रतित होता है। अतः वकील अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर हज न्यायालय की दिनांक 03.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश को अपास्त किया जाता है।

अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब पेश किया गया। जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 आंशिक रूप से स्वीकार है लेकिन यह अस्वीकार है कि प्रार्थी आराजी संख्या 450, 447, 584/452 में होते हुए अपने खाते की कृषि भूमि संख्या 446 में आता है। शेष कथन मिथ्या एवं मनगढ़ंत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 व 03 मिथ्या एवं मनगढ़ंत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 व 5 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अनुतोष की कलम अस्वीकार है। विशेष कथन में निवेदन किया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में उक्त प्रकरण में पटवारी से रिपोर्ट तलब की गई थी जो दिनांक 15.05.2024 को बनाई गई जिसमें स्पष्ट दर्शित किया गया है कि प्रार्थी की आराजी संख्या 446 से आने जाने का रास्ता आराजी संख्या 584/452, 452 से होकर निकलता है जिसका उपयोग लगातार प्रार्थी करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता अपने प्रार्थना पत्र में चाहा गया है उसमें आराजी संख्या 451 का वर्णन अंकित नहीं है और ना ही रास्ता उक्त आराजी संख्या 451 से चाहा गया है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में जो रास्ता है जो आराजी संख्या 584/452, 452 से होकर निकलता है जो आराजी संख्या 455 पर मिलता है वह आम रास्ता है जिसका उपयोग व उपभोग संपूर्ण ग्रामवासी आम रास्ते के रूप में करते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है मुझ प्रार्थी की ग्राम मोहनपुरा, प.ह. धावदकलां, की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 152, खसरा संख्या 446 रकबा 3.2400 हेक्टर भूमि दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त आराजीयात पर आने–जाने का रास्ता आराजी नम्बर 450, 447, 584/452 से होकर प्रार्थी की कृषि आराजी नम्बर 446 पर जाता है उक्त रास्ते का प्रार्थी कदीवी समय से उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी अपने खाते की जमीन पर आ–जा नहीं पा रहा है। उक्त आराजी पर आने जाने का एक मात्र रास्ता यही है तथा उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम नहीं है, रास्ते को तरमीम करने का निवेदन किया है इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है, किन्तु तहसीलदार रावतभाटा द्वारा आराजी संख्या 449 में से भी रास्ते हेतु कुल 50 वर्गमीटर भूमि प्रस्तावित की गई है जबकि आराजी संख्या 450, 563 से रास्ता चालू होकर मुख्य रास्ते में जाकर मिलता है। प्रार्थी को आराजी संख्या 450 व 447 मे से ही रास्ता चाहिए। यदि आराजी संख्या 449 से होकर रास्ता दिया जाता है तो पुनः आराजी संख्या 449 के खातेदार को भी पक्षकार बनाना होगा जिससे प्रकरण में अनावश्यक देरी होगी, इसलिए प्रार्थी को आराजी संख्या 447, 450 मे से ही दिया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 02 से 08 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश होने से रास्ता दिए जाने में किसी प्रकार का खण्डन नहीं हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया है। तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने–जाने का अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा प्रस्तावित रास्ता जो न्यूनतम दूरी का आराजी संख्या 447, 450 का होने से प्रस्ताव स्वीकार कर विपक्षीगण संख्या 01 की आराजी संख्या 450 की दक्षिण दिशा व 03 से 07 की आराजी संख्या 447 के पूर्व दिशा की मेड के सहारे सहारे होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 446 तक जाने के लिए रास्ता प्रस्तावित होकर मुख्य रास्ते से मिलता है। इस रास्ते में आराजी संख्या 447(225 वर्गमीटर), 450(225 वर्गमीटर) भूमि काम आयेगी। ग्राम मोहनपुरा की आराजी संख्या 447, 450 की मेड के सहारे सहारे पर से रकबा 450 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 670390/ रू. प्रति है0 से 450X67.03=30163 रूपये की दुगुनी राशि कीमत 60327/– रू बनती है।

न्यायालय ने अधिवक्ता उभय पक्ष व पेरोकार सरकार की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु कोई समुचित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आराजी संख्या 447, 450 में से प्रस्तावित मार्ग न्यूनतम दूरी का एवं व्यवहारिक मार्ग पाया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 251 क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकार) नियम 68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तो के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है । इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्व शर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

- प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
- खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
- लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व अधिकारियों की मौका रिपोर्ट से प्रार्थी की आवश्यकता वास्तविक एवं न्यायसंगत तथा चाहा गया अनुतोष धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत देय होना प्रमाणित होता है। अतः समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

–आदेशः–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का धावदकलां की आराजी संख्या 446 में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 1 व 3 से 7 की आराजी संख्या 447, 450 के दक्षिण व पूर्व मेर के सहारे–सहारे कुल 450 वर्गमीटर भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 450 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 670390/रू. अनुसार कीमत 30163 रू की दुगुनी दर से राशि 60327/रू. (अक्षरे रूपये साठ हजार तीन सौ सत्ताईस रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार हिस्से अनुसार किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 व 3 से 7 की रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली भूमि 450 वर्गमीटर राशि का भूगतान विपक्षी संख्या 01 व 3 से 07 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे की छायाप्रति, निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

Scanned with OKEN Scanner